



Helpline

1064



94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➤ बाड़मेर में पटवारी 12 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

➤ आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 06 अप्रैल, बुधवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जैसलमेर इकाई द्वारा आज बाड़मेर में कार्यवाही करते हुये गेनाराम कड़वासरा पटवारी हल्का जूना मीठा खेड़ा, तहसील सिणधरी, जिला बाड़मेर को परिवादी से 12 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जैसलमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि सिविल न्यायालय में दायर वाद में सही मौका रिपोर्ट देने एवं वारिसान का नामान्तकरण खोलने की एवज में गेनाराम कड़वासरा पटवारी हल्का जूना मीठा खेड़ा, तहसील सिणधरी, जिला बाड़मेर द्वारा 40 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जोधपुर के उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री कैलाश चंद विश्नोई के सुपरवीजन में एसीबी जैसलमेर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अन्नराज राजपुरोहित के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा बाड़मेर में ट्रेप कार्यवाही करते हुए गेनाराम कड़वासरा पुत्र श्री हरजीरराम कड़वासरा निवासी ग्राम पोस्ट आदर्श चवा, तहसील एवं जिला बाड़मेर हाल पटवारी हल्का जूना मीठा खेड़ा, तहसील सिणधरी, जिला बाड़मेर को परिवादी से 12 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं **WhatsApp** हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।